यह संयुक्त राष्ट्र है

संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, विश्व सरकार नहीं

संयुक्त राष्ट्र प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों का संगठन है। ये राष्ट्र विश्व शांति के लिए प्रयास करने, सभी राष्ट्रों के बीच मैत्री को बढ़ावा देने और आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति को समर्थन देने के लिए स्वेच्छा से संयुक्त राष्ट्र में शामिल होते हैं। इस संगठन का औपचारिक गठन 24 अक्तूबर, 1945 को हुआ था। उस समय 51 देश इसके सदस्य बने। मार्च, 2007 तक 192 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन चुके थे।

संयुक्त राष्ट्र दुनिया के लगभग सभी राष्ट्रों के लिए एक मंच है, एक मिलन स्थल है। यह उन्हें विवादों या समस्याओं का समाधान ढूँढने में सहायक तंत्र उपलब्ध कराता है, जिससे वह मानवता से जुडे किसी भी मसले पर कार्रवाई कर सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र को कभी–कभी 'राष्ट्रों की संसद' भी कहा जाता है, किंतु वास्तव में संयुक्त राष्ट्र न तो कोई सर्वोच्च राष्ट्र है और न ही सरकारों की सरकार है। इसकी अपनी कोई सेना नहीं है और यह कोई कर नहीं लगाता। अपने निर्णय लागू कराने के लिए यह सदस्यों के राजनीतिक संकल्प पर निर्भर है और अपनी गतिविधियाँ सदस्यों के अंशदान से चलाता है।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय तनाव कम कराने, संघर्ष टालने और पहले से चल रही लड़ाईयों को समाप्त कराने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह हमारे पर्यावरण, बाह्य अंतरिक्ष और समुद्र तल से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देता है। इसने अनेक बीमारियों का सफाया कराने और खाद्य उत्पादन बढ़ाने में मदद की है। यह शरणार्थियों को देखभाल और संरक्षण देता है, साक्षरता का प्रसार करता है और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में तुरंत मदद करता है। यह संगठन मानव अधिकारों के लिए विश्वव्यापी मानक तय करके व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और संवर्द्धन करता है।

संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंग

- **महासभा**

महासभा, संयुक्त राष्ट्र में विचार–विमर्श के लिए मुख्य अंग है और संगठन के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। महासभा, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अंतर्गत उठने वाले किसी भी विषय पर चर्चा कर सकती है और संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के लिए सिफारिशें कर सकती है (सिर्फ उन विवादों या स्थितियों को छोड़कर, जो सुरक्षा परिषद के विचाराधीन हैं)। महासभा में हर छोटे–बड़े राष्ट्र का एक वोट होता है और महत्वपूर्ण निर्णय दो–तिहाई बहुमत से लिए जाते हैं।

महासभा की बैठक हर वर्ष सितंबर से दिसंबर तक होती है। सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर या अधिकांश सदस्यों के अनुरोध पर महासभा की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है।

संयुक्त राष्ट्र का काम उसकी छह मुख्य समितियों, मानव अधिकार परिषद, अन्य सहायक संस्थाओं और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय से भी संचालित होता है।

- **सुरक्षा परिषद**

घोषणा पत्र के अंतर्गत सुरक्षा परिषद का मुख्य दायित्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। जब कहीं भी शांति के लिए खतरा हो तो इसकी बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। सदस्य राष्ट्र इसके निर्णय मानने के लिए बाध्य हैं। सुरक्षा परिषद के समक्ष जब भी शांति के लिए किसी खतरे का मुद्दा लाया जाता है तो वह सबसे पहले संबद्ध पक्षों से शांतिपूर्ण सहमति की अपील करती है। यदि लड़ाई शुरू हो जाए तो परिषद युद्धविराम कराने की कोशिश करती है। तनावग्रस्त क्षेत्रों में वह शांति रक्षक दल भेज सकती है या शांति स्थापना के लिए आर्थिक एवं अन्य प्रतिबंध लगा सकती है।

सुरक्षा परिषद के पंद्रह सदस्यों में से पाँच सदस्य– चीन, फ्रांस, रूसी परिसंघ, युनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका– स्थाई हैं। अन्य दस सदस्यों को महासभा दो वर्ष के कार्यकाल के लिए भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनती है। प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों को छोड़कर किसी भी निर्णय के लिए नौ वोट आवश्यक हैं। यदि कोई स्थाई सदस्य विरोध में मत दे (जिसे वीटो कहते हैं) तो वह निर्णय नहीं लिया जा सकता। परिषद नए महासचिव की नियुक्ति और संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों के प्रवेश के बारे में महासभा के लिए सिफारिश भी करती है। अनेक देश चाहते हैं कि परिषद की सदस्यता बढ़ाई जाए। इसमें नए स्थाई और अस्थाई सदस्य शामिल किए जाएं।

- **आर्थिक और सामाजिक परिषद**

आर्थिक और सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र परिवार के संगठनों के आर्थिक और सामाजिक कार्य में समन्वय रखने वाली केंद्रीय संस्था है। इसके 54 राष्ट्र सभी क्षेत्रों से चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र तंत्र का 70 प्रतिशत तक कार्य, रहन–सहन के ऊँचे स्तर, पूर्ण रोजगार और आर्थिक और सामाजिक प्रगति तथा विकास की परिस्थितियों को सुधारने से जुड़ा है। परिषद विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि के संवर्द्धन के लिए गतिविधियों की सिफारिश और मार्गदर्शन करती है, मानव अधिकारों को समर्थन देती है तथा गरीबी एवं अल्पविकास से संघर्ष में विश्वव्यापी सहयोग को बढ़ावा देती है।

विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महासभा ने अनेक विशेषज्ञ एजेंसियाँ गठित कर रखी हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), और संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को)। महासभा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), संयुक्त राष्ट्र बालकोष (युनिसेफ), और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) जैसे कार्यक्रम भी चलाती है।

- **ट्रस्टीशिप परिषद**

ट्रस्टीशिप परिषद की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अंतर्गत उन ट्रस्ट क्षेत्रों– पूर्व उपनिवेशों या निर्भर क्षेत्रों– के प्रशासन की देखरेख के लिए की गई है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप प्रणाली के अंतर्गत रखा गया था। यह प्रणाली दूसरे महायुद्ध के अंत में इसलिए स्थापित की गई थी ताकि उन निर्भर क्षेत्रों के निवासियों की उन्नति और धीरे–धीरे उन्हें स्वशासन या स्वतंत्रता की तरफ ले जाने के लिए प्रयास किए जा सकें।

ट्रस्टीशिप परिषद के गठन के बाद से 70 से अधिक औपनिवेशिक क्षेत्रों ने संयुक्त राष्ट्र की सहायता से स्वतंत्रता प्राप्त की है, जिनमें सभी मूल 11 ट्रस्ट क्षेत्र शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप

1994 में परिषद ने औपचारिक रूप से इसकी गतिविधियाँ स्थगित करने और आवश्यकतानुसार बैठक करने का निर्णय लिया।

- **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय**

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। इस विश्व न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जो 15 अलग–अलग देशों से आते हैं और जिनका चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद करती है। यह न्यायालय व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार करता है। यदि कोई राष्ट्र न्यायालय की कार्यवाही में हिस्सा न लेना चाहे तो वह तब तक ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है, जब तक विशेष संधि प्रावधानों के अंतर्गत ऐसा करना अनिवार्य न हो। एक बार जब कोई राष्ट्र न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्वीकार कर लेता है तो उसके निर्णय का पालन उस राष्ट्र के लिए अनिवार्य है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड्स में द हेग में स्थित है। न्यायालय के कार्यालय पीस पैलेस में है, जिसका निर्माण एक निजी गैर मुनाफा संगठन कार्नेगी फाउंडेशन ने वर्तमान न्यायालय की पूर्ववर्ती अंतर्राष्ट्रीय स्थाई न्यायालय के मुख्यालय के रूप में कराया था। संयुक्त राष्ट्र उस भवन के उपयोग के लिए फाउंडेशन को वार्षिक अंशदान देता है।

- **सचिवालय**

सचिवालय में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी और जिनेवा, विएना, नैरोबी एवं अन्य स्थानों पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों के कर्मचारी शामिल हैं। इसके विभिन्न विभागों और कार्यालयों में करीब 175 देशों के लगभग 16,000 कर्मचारी काम करते हैं। कर्मचारी महासभा, सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों के दिशानिर्देशों के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र का ठोस और प्रशासनिक कार्य करते हैं।

सचिवालय के प्रमुख महासचिव होते हैं। उनकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा पाँच वर्ष के लिए करती है। संगठन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते महासचिव इसके कार्य का निर्देशन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों के निर्णयों के क्रियान्वयन का दायित्व भी महासचिव का है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोई भी विषय सुरक्षा परिषद के समक्ष रख सकते हैं, जो उनके विचार में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता हो। वे विभिन्न देशों के बीच संघर्ष टालने या विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कराने के लिए अपने पद का उपयोग कर सकते हैं। महासचिव विशेष महत्व की मानवीय या अन्य समस्याओं को सुलझाने की पहल भी कर सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र के गठन के बाद से अब तक केवल आठ महासचिव हुए हैं :

- **त्रिगवे ली** (नॉर्वे), 1946–1952;
- **दाग हैमरशोल्ड** (स्वीडन), 1953–1961;
- **ऊ थाँ** (बर्मा, अब म्यांमा), 1961–1971;
- **कुर्त वाल्दहैम** (ऑस्ट्रिया), 1972–1981;
- **हावेयर पेरेज़ द क्वेयार** (पेरू), 1982–1991;
- **बुतरस बुतरस–घाली** (मिस्र), 1992–1996;

- **कोफी अन्नान** (घाना), 1997–2006; और
- **बान की मून** (कोरिया गणराज्य), 2007–

शांति कोरा स्वप्न नहीं है

नीले हेल्मेट पहने संयुक्त राष्ट्र शांतिस्थापक संयुक्त राष्ट्र के सबसे प्रत्यक्ष प्रतीक हैं। विभिन्न राष्ट्रों की सेनाओं से स्वेच्छा से आए सैनिक, शांतिस्थापक के रूप में एक तटस्थ तीसरे पक्ष की भूमिका निभाते हैं। वे युद्धविराम कराने और उसके पालन तथा संघर्ष में शामिल पक्षों के बीच तटस्थ क्षेत्र बनाने में मदद करते हैं। उनकी उपस्थिति से राजनयिक माध्यमों से संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में सहायता मिलती है। शांतिस्थापक उस क्षेत्र में शांति बनाए रखते हैं और संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ, विवाद में शामिल पक्षों या देशों के नेताओं से मिलकर शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश करते हैं। आधुनिक युग में शांतिस्थापक की भूमिका शांतिस्थापना और सुरक्षा के संरक्षण से कुछ अधिक हो गई है। शांतिस्थापक अब दिनोंदिन राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहायता करने, न्यायिक प्रणालियों को सुधारने, विधि प्रवर्तन और पुलिस बलों को प्रशिक्षण देने, पूर्व लड़ाकुओं को निरस्त्र करने और बारूदी सुरंगें हटाने के काम में शामिल होने लगे हैं।

2005 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और उसके महानिदेशक मोहम्मद अल बारदेई को नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबल समिति ने 9वीं बार संयुक्त राष्ट्र को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र और कोफी अन्नान (2001), संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना बल (1988), संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (1954 व 1981), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (1969), संयुक्त राष्ट्र बालकोष (1965), दाग हैमरशोल्ड (1961) और रॉल्फ बन्च (1950) को सम्मानित किया गया।

विश्व भर में शांति स्थापना

संयुक्त राष्ट्र शांतिस्थापकों ने 1945 और 2006 के बीच 61 फील्ड मिशनों में हिस्सा लिया और क्षेत्रीय संघर्ष समाप्त कराने वाले 172 शांतिपूर्ण समाधानों के क्रियान्वयन में भागीदारी की। उन्होंने 45 से अधिक देशों में नागरिकों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों में हिस्सा लेने में सहायता दी। कुल 108 देशों ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधियों के लिए सैन्य एवं पुलिस बल उपलब्ध कराए। संयुक्त राष्ट्र शांति गतिविधियाँ अन्य प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेपों की तुलना में कम खर्चीली हैं। 2007 के शुरू में 10 समय क्षेत्रों में 4 महाद्वीपों पर 18 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में लगभग 92,200 शांतिकर्मी तैनात थे। इनकी उपस्थिति का सीधा असर लाखों लोगों के जीवन पर पड़ता है। जून, 2007 तक शांति स्थापना गतिविधियों का अनुमोदित बजट लगभग 4.75 अरब डॉलर का था, जो दुनिया भर में सैन्य खर्च की तुलना में 0.5 प्रतिशत से भी कम है।

हर व्यक्ति के लिए मानव अधिकार

1948 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुमोदन करके सभी राष्ट्रों के लिए मानव अधिकारों के एक समान मानक तय कर दिए। इस घोषणा के माध्यम से सदस्य राष्ट्रों की सरकारों से यह अपेक्षा की गई कि वे यह सुनिश्चित करने का अपना दायित्व स्वीकार करती हैं कि अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर, स्त्री हो या पुरुष हर नस्ल और हर धर्म के हर व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार सुनिश्चित करेंगी।

उसके बाद से संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों के बारे में अनेक अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुमोदन किया है, जिनमें महिला अधिकार, नस्लीय भेदभाव और बाल अधिकारों जैसे विषय शामिल हैं। राष्ट्रों की सरकारें जब इन संधियों से सम्बद्ध पक्ष बन जाती हैं तो वे इनके पालन का दायित्व स्वीकार कर लेती हैं। इन दायित्वों का उल्लंघन होने पर संधि से जुड़ी विशेष संस्थाएँ उनकी समीक्षा करती हैं और स्थिति को सुधारने के लिए सिफारिशें करती हैं। यदि कोई देश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करता तो संयुक्त राष्ट्र उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है।

जून, 2006 में स्थापित मानव अधिकार परिषद मानव अधिकारों के बारे में संवाद और सहयोग के लिए मूल विश्वव्यापी मंच है। महासभा की ये सहायक संस्था संगठन के पूर्ण सदस्यों के प्रति सीधे उत्तरदाई है और इसका प्रशासन संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त के हाथ में है।

विकास शांति का पर्याय है

दुनिया भर में लगभग 1.3 अरब लोग निपट गरीबी में जीते हैं और उनकी दैनिक आमदनी एक डॉलर से भी कम है। इन लोगों को अकसर एक अच्छी ज़िन्दगी की बुनियादी सुविधाएँ सुलभ नहीं होतीं, जिनमें भरपेट भोजन, सुरक्षित पानी, भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवा, सिर छिपाने की सही जगह और बुनियादी शिक्षा तथा आजीविका चलाने के लिए प्रशिक्षण और अवसर शामिल हैं। दुनिया में स्थाई शांति तब तक नहीं आ सकती, जब तक सबके सामाजिक और आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। संयुक्त राष्ट्र अपने कुल संसाधनों का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इस लक्ष्य को हासिल करने पर खर्च करता है।

सितंबर, 2000 में सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में, इतिहास में विश्व नेताओं के सबसे बड़ी सभा ने संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी घोषणा का अनुमोदन किया। इस घोषणा ने उनके राष्ट्रों को निपट गरीबी कम करने की नई विश्वव्यापी साझीदारी के प्रति संकल्पबद्ध कर दिया और समयबद्ध सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य तय कर दिए। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य निपट गरीबी के विविध रूपों–आय गरीबी, भूख, बीमारी, समुचित आवास की कमी और बहिष्कार–से निपटने के साथ–साथ लैंगिक समानता, शिक्षा और पर्यावरण के स्थाई संरक्षण के लिए विश्व के लक्ष्य हैं। यह बुनियादी मानव अधिकारों के लक्ष्य भी हैं, जिनमें हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और सुरक्षा के अधिकार शामिल हैं।